न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

कमला बनाम गुलाबचंद

नाम मुकदमा अपील मु. नं. 04 वर्ष 2016

दिनांक	आज्ञा-पत्र	
5/11/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/11/19 को पेश होवे	
13/11/19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप.। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वर्ष 2009 से 2016 तक की 7 वर्ष की देरी माफी योग्य नहीं होने के कारण विवादित अपील मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली कैफियत पूरा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील/04/2016

कमलादेवी बनाम गुलाबचंद आदि

अपील

उपस्थिति–
01. श्री महेश कुमार जांगिड़, वकील अपीलांट की ओर से
02. श्री नोपाराम जांगिड़, वकील रेस्पोंडेंट् सं. 1 की ओर से

–:आदेश बाबत मियाद के बिंदु:–

दिनांक– 13.11.2019

01. वकील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आवेदन अ.धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चैलासी पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 350 रकबा 2.40 हैक्टर व खसरा नं. 291 रकबा 2.25 हैक्टर में अपीलान्ट अपनी हक हिस्से की भूमि पर काश्त कार्य कर लाट बाट करती आ रही थी, दिनांक 03.03.2016 को अपीलान्ट अपने गेहूँ चने की फसल काटने में लगी हुई थी कि अचानक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को धमकी दी कि इन भूमियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कटाई का कार्य बन्द करके अपने घर चली जाओ, क्योंकि इन सम्पूर्ण भूमियों को मैंने मेरे नाम से करवा लिया है। तब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रिकार्ड की नकले चाही, जिन्होनें तहसील कार्यालय से नकल लेने के लिए कहा, तो अपीलान्ट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर तहसील में नकल के लिए आवेदन किया जो, कि दिनांक 06.04.2016 को प्राप्त हुई तथा इसके पश्चात् न्यायालय अवकाश होने के कारण अपील पेश नही की जा सकी। अब अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए दिनांक 20.07.2009 से दिनांक 28.3.2016 तक जानकारी के अभाव में तथा दिनांक 28.03.2016 से दिनांक 06.04.2016 तक नकल प्राप्त करने में हुई देरी का कण्डोन किया जाकर माफ किया जाना प्रार्थनीय है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलान्ट मृतक अणची उर्फ उनकी देवी की प्रथम श्रेणी की वैध वारिस है तथा किसी प्रक्रिया के तहत प्रथम श्रेणी के वारिस को उनके वैध अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। किसी गलत प्रक्रिया से अनाधिकृत व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में मियाद का बिंदु कोई अर्थ नहीं रखता है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने की कृपा करें।

02. आवेदन के पेश होने रेस्पोंडेंट सं. 1 के वकील ने जवाब पेश न कर बहस का निवेदन किया।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस में दोहराया तथा बहस के दौरान कथन किया कि गुलाबचंद के पास रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं है। नामान्तरकरण सं. 583 में मेरी मां के नाम भी जमीन का नामान्तरकरण गुलाबचंद ने खुलवाया है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने का आधार पूर्व में भी भरा गया नामान्तरकरण बताया है। पूर्व न्यायिक आदेश से नया नामान्तकरण नहीं भरा जा सकता है। प्रथम श्रैणी के वारिसान हम व हमारी बहनें है। पटवारी हल्का ने void order के अनुसार नामान्तरकरण भरा है। अतः इसमें मियाद का बिंद लागू नहीं होता है। दिनांक 03.03.2016 से वादकारण उत्पन्न हुआ, इसी दिन

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

हमें रिकार्ड में नाम नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई। तब हमने अपील पेश की। इसके विपरीत वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि नामान्तरकरण भरने से पूर्व दावा जरिये राजीनामा व बयान के बाद डिक्री किया गया, जिसके अनुसार गुलाबचंद को दत्तकपुत्र माना है। उक्त निर्णय में 1/2 हिस्सा भूमि गुलाबचंद की व 1/2 दत्तक मां अणची उर्फ उनकी की रही। इस दावे में अणची की पुत्री रूक्मणी व कमला के भी बयान दर्ज कराये गये थे। इस डिक्री के बाद अणची दिनांक 05.06.2003 को फौत हो गई। इसके बाद दिनांक 15.03.2008 को रूकमणी व कमला ने दो शपथ–पत्र पेश किये कि गुलाबचंद अपने पक्ष में नामान्तरकरण खुलवा सकता है। इन शपथ–पत्रों का उल्लेख नामान्तकरण में दर्ज है। पंचायत में जरिये प्रस्ताव दिनांक 20.05.2019 को नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। अपीलांट को पूर्व में जानकारी थी, क्योंकि शपथ–पत्र वर्ष 2008 में ही दिये जा चुके है। जानकारी होने के बाद भी देरी से अपील पेश की है। अतः मियाद के बाहर है। अतः लिमिटेशन के बिंदु पर ही अपील को खारिज किया जावे। अपीलांट वकील ने रिपीटल में कथन किया कि शपथ–पत्र हमारे द्वारा नहीं किया गया है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत विवादित भूमि में हमारा हक बनता है।

04. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। एल आर एक्ट की धारा 78 के अनुसार पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पर दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील 90 दिवस के भीतर उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में की जा सकती है। यदि 90 दिवस के पश्चात् अपील प्रस्तुत की जाती है, तो उसके साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 आवेदन लगाना आवश्यक होता है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अनुसार न्यायालय प्रर्याप्त हेतुक होने पर देरी को माफ करके अपील स्वीकार कर सकता है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार समय की गणना तब से की जायेगी, जब से अपीलांट को उस नामान्तरकरण तस्दीक करने की जानकारी प्राप्त हुई हो। अपीलांट के कथन के अनुसार उक्त प्रकरण में उसे उक्त विवादित नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 06.04.2016 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर हुई तथा जनाकारी होने के 90 दिवस के भीतर अपील न्यायालय हाजा में पेश कर दी गई। लेकिन पत्रावली में संलग्न सहमति–पत्र, जो अपीलांट व उसकी बहिन ने गुलाबचंद के पक्ष में निष्पादित किये गये थे, जिनमें अपीलांट व उसकी बहिन ने गुलाबचंद को अपना भाई व अपने पिता का दत्तक पुत्र माना है तथा अपनी मां का विरासत का नामान्तरकरण गुलाबचंद के हक में खोलने में अपनी सहमति प्रकट की है। उक्त सहमति–पत्र नोटेरी से प्रमाणित है तथा इन पर दिनांक 15 मार्च, 2018 अंकित है तथा इस पर अपीलांट के हस्ताक्षर का मिलान अपील आवेदन पर किये गये हस्ताक्षरों से होता है। इन सहमति/शपथ–पत्रों का उल्लेख हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण की जिल्द पर भी किया है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट एवं उसकी बहिन रूकमणी को वर्ष 2009 से ही थी। अपीलांट ने उक्त तथ्यों को छुपाकर अपील प्रस्तुत की है।

अतः वर्ष 2009 से 2016 तक की 7 वर्ष की देरी माफी योग्य नहीं होने के कारण विवादित अपील मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर
उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.15 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: